न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या 34/2020

निर्णय दिनांक 18-2-2021

भंवरलाल पुत्र फूल सिंह जाति जाट निवासी भामासी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

-वादी

बनाम

1. उमेदखाँ पुत्र हासमखाँ जाति कायमखानी निवासी कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जि
2. सुनिता पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ (चूरू)

-प्रतिवादीगण

4. विजय कुमार पूनियाँ पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील राजगढ़ जिला चू

गौणप्रतिवादी

वाद बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 R.T.A

उपस्थित !-

1. श्री सुनिल कुमार अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " सत्यवान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व 2.

निर्णय

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार राजग से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुरूप ही तैयार कर पेश किया गया है जिस पर कोई एतराज नहीं की उभय पक्ष द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किये जाने में सहमति जाहिर की थी अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार क पक्षकारान का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है।

1. विजयकुमार पूनियाँ पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी भामासी भंवरलाल पुत्र फूल जाति जाट निवासी भामासी ब. हि. ब. 0.6317 है० खातेदार के हक हिस्सा में खा

2725/2615 मी० रकबा 0.6317 हे० बा. तृ. लगान 1.26 रोही कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार बरंग आसमानी से दर्शाए अनुसार रहेगी।

२. उमेदखाँ पुत्र हासमखाँ 0.18712 हैक्टर जाति मुसलमान सुनिता पत्नी प्रकाशचन्द्र 1.05238 हे० जाति जाट निवासी मानपुरा खातेदार के हक हिस्सा से ख० न० 2725/2... मी० रकबा 1.2395 हैक्टर का. तृतीय लगान 1.47 रोही कस्बा राजगढ़ तहसील राज... जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग सफेद से दर्शाए अनुसार रहेगी।

देय मुद्रांक शुल्क अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)